उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1041/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(202)-2021
लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021
अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में

क. अनुसूची एक में - 2.5%,-

(i) क्रम संख्या 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"71क	1209	इमली के बीज बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए";

(ii) क्रम संख्या 138 से 148 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निकाल दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात्: -

"186क	3826	हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को पूर्ति कृत बायो-डीजल";

(iv) क्रम संख्या 187क और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(v) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(vi) सूची 1 में, मद संख्या 231 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

"(232) पेम्ब्रोलिजुमाब (कीट्रूडा)";

(vii) सूची 3 में, मद संख्या (ख) (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्,निम्नलिखित निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्: -

"(3) दिव्यांगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट";

ख. अनुसूची दो में - 6%, -

(i) क्रम संख्या 80क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्: -

"बायो-डीजल (हाई-स्पीड डीजल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल विपणन कंपनियों को पूर्ति कृत बायो-डीजल से भिन्न)";

(ii) क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(iii) क्रम संख्या 127 से 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(iv) क्रम संख्या 201और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: -

"201क	84, 85 या94	निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके विनिर्माण के लिये पुर्जे - (क) जैव गैस संयंत्र; (ख) सौर ऊर्जा आधारित उपकरण; (ग) सौर ऊर्जा जनरेटर; (घ) पवन मिलें, पवन संचालित बिजली जेनरेटर (डब्ल्यूओईजी); (ङ) ऊर्जा संयंत्रों / उपकरणों के लिए अपशिष्ट; (च) सौर लालटेन / सौर लैंप; (छ) महासागरीय तरंगें/ज्वारीय तरंगें ऊर्जा उपकरण/पौधे; (ज) फोटो वोल्टाइक सेल, मॉड्यूल में असेंबल किया गया है या नहीं या पैनलों में बना है ।

		स्पष्टीकरण: - यदि इस प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माल की पूर्ति की जाती है, तो पूर्तिकर्ता द्वारा, अन्य माल की पूर्तियों और सेवाओं के साथ, जिनमें से एक विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा है में उल्लिखित सारणी के क्रम संख्या 38 की प्रविष्टि में अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 [जी.एस.आर. 690(अ)], के लिए माल की पूर्ति का मूल्य इस प्रविष्टि के प्रयोजनार्थ ऐसी समस्त पूर्तियों के लिए प्रभारित सकल प्रतिफल के सत्तर प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा और सकल प्रतिफल का अवशेष तीस प्रतिशत प्रभारित उक्त कराधेय सेवा के मूल्य के रूप में समझा जाएगा।";

(v) क्रम संख्या 205क से 205ज और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी,

(vi) क्रम संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी,

ग. अनुसूची तीन में - 9%, -

(i) क्रम संख्या 26ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"26ग	2601	लौह अयस्क और कंसन्ट्रेट्स तथा भुना हुआ लौह पाइराइट।
26घ	2602	मैंगनीज अयस्क और कंसन्ट्रेट्स तथा फेरुजिनस मैंगनीज अयस्क और 20% या उससे अधिक की मैंगनीज सामग्री, जिसकी गणना सूखे वजन पर की जाती है।
26ङ	2603	कॉपर अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26च	2604	निकल अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26छ	2605	कोबाल्ट अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ज	2606	एल्युमिनियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26।झ	2607	सीसा अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ञ	2608	जिंक अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ट	2609	टिन अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।
26ठ	2610	क्रोमियम अयस्क और कंसन्ट्रेट्स।";

(ii) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"101क	3915	प्लास्टिक के अपशिष्ट, परिंग्स और स्क्रैप।";

(iii) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्: -

"153क	4819	कागज के कार्टन, बॉक्स, केस, बैग और अन्य पैकिंग कंटेनर, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के वेब्स; कार्यालयों, दुकानों या इसी तरह के कागज या पेपरबोर्ड की बॉक्स फाइलें, लेटर ट्रे और समान प्रकार की वस्तुएं।";

(iv) क्रम संख्या 157 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"157क	4906 00 00	वास्तुकला, अभियांत्रिकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या ऐसे प्रयोजनों के लिए योजनाएं और चित्रकारी, जो मूल रूप से हाथ से तैयार किए गए हैं; हस्तलिखित ग्रंथ; संवेदनशील कागज पर फोटोग्राफिक प्रतिकृतियां और पूर्वगामी की कार्बन प्रतियां।
157ख	4907	अप्रयुक्त डाक, राजस्व या देश में मौजूदा या नए मुद्दे के समान टिकट जिसमें उनके पास एक मान्यता प्राप्त अंकित मूल्य है, या होगा; स्टाम्प-युक्त कागज; बैंकनोट; चेक प्रपत्र; स्टॉक, शेयर या बांड प्रमाण पत्र और शीर्षक के समान दस्तावेज (ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स से भिन्न)।
157ग	4908	स्थानान्तरण (डिकैल्कोमेनिया)।
157घ	4909	मुद्रित या सचित्र पोस्टकार्ड; व्यक्तिगत अभिवादन, संदेश या आख्यापन वाले मुद्रित कार्ड, चाहे लिफ़ाफ़े या ट्रिमिंग के साथ या बिना सचित्र हों।
157ङ	4910	कैलेंडर ब्लॉक सहित किसी प्रकार के मुद्रित कैलेंडर ।
157च	4911	मुद्रित चित्रों और तस्वीरों सहित अन्य मुद्रित सामग्री; जैसे व्यापार विज्ञापन सामग्री, वाणिज्यिक कैटलॉग और जैसे,

		मुद्रित पोस्टर, वाणिज्यिक कैटलॉग, मुद्रित इनले कार्ड, चित्र, डिज़ाइन और फोटोग्राफ, वास्तुविद अभियांत्रिकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, स्थलाकृतिक या या समान प्रकार के प्रयोजनो हेतु योजना और चित्रकारी, कंप्यूटर की सहायता से पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं या कोई अन्य उपकरण।";

(v) क्रम संख्या 398 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"398क	8601	बिजली के बाहरी स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा संचालित रेल लोकोमोटिव।
398ख	8602	अन्य रेल इंजन; लोकोमोटिव निविदाएं; जैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसकी निविदायें।
398ग	8603	स्व-चालित रेलवे या ट्रामवे कोच, वैन और ट्रक, शीर्षक 8604 से भिन्न अन्य।
398घ	8604	रेलवे या ट्रामवे रखरखाव या सेवा वाहन, चाहे स्व-चालित या गैर-स्वचालित हो (उदाहरण के लिए, कार्यशालाएं, क्रेन, गिट्टी टैम्पर, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और ट्रैक निरीक्षण वाहन)।
398ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री डिब्बे, जो स्व-चालित नहीं है, लगेज वैन, डाकखाना कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेलवे या ट्रामवे कोच, स्व-चालित नहीं (शीर्षक 8604 को छोड़कर)।
398च	8606	रेलवे या ट्रामवे माल वैन और वैगन, स्व-चालित नहीं।
398छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के भाग; जैसे बोगी, बिसेल-बोगी, एक्सल और पहिए, और उसके पुर्जे।
398ज	8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या हवाई क्षेत्रों के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से।";

(vi) क्रम संख्या 447 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बॉल प्वाइंट पेन; फेल्ट टिप्ड और अन्य पोरस-टिप्ड पेन और मार्कर; फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन और अन्य पेन; डुप्लिकेटिंग स्टाइलेस; पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर और समान होल्डर; पूर्वगामी साम्रगी के भाग (कैप और क्लिप सहित), शीर्षक 9609 से भिन्न ", रख दी जायेंगी;

घ. अनुसूची चार में - 14%, -

(i) क्रम संख्या 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्: -

"12ख	2202	फल पेय रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रसयुक्तकार्बोनेटेड बिवरेज।";

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव